



जल कल विभाग, नगर निगम

ऐशबाग, लखनऊ-226004

प्रेषक:

अधिशायी अभियन्ता
जलकल विभाग, ऐशबाग,
नगर निगम, लखनऊ।

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता-मानचित्र सेल
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिन खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

संख्या: 2597/EE / LJS / 018-019

दिनांक: 4.9.2018

विषय:


अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 117AA/मानचित्र सेल दिनांक 27.08.2018 द्वारा प्रेषित प्रस्तावित मानचित्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जोकि आइफिल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0, अधिकृत हस्ताक्षरी श्री उमेश चन्द्र मौर्या द्वारा खसरा संख्या 481, 480क, 479क, 477, 615, 614, 616 व 617, ग्राम-मस्तेमऊ, लखनऊ पर प्रस्तावित समूह आवास भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र के अनापत्ति के सम्बन्ध में है।

उपरोक्त क्षेत्र जलकल विभाग की पाइप लाइन एवं सीवर लाइन की सीमा क्षेत्र से बाहर है। इनके द्वारा पाइप लाइन व सीवर लाइन की व्यवस्था स्वतः की जायेगी। इस सम्बन्ध में जलकल विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। अतः खसरा संख्या 481, 480क, 479क, 477, 615, 614, 616 व 617, ग्राम-मस्तेमऊ, लखनऊ पर जलकल विभाग लखनऊ द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

भवदीय,



अधिशायी अभियन्ता
जलकल विभाग ऐशबाग
नगर निगम, लखनऊ

प0सं0: —————

दि0: —————

प्रतिलिपि: आइफिल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0, अधिकृत हस्ताक्षरी श्री उमेश चन्द्र मौर्या द्वारा खसरा संख्या 481, 480क, 479क, 477, 615, 614, 616 व 617, ग्राम-मस्तेमऊ, लखनऊ

अधिशायी अभियन्ता
जलकल विभाग ऐशबाग
नगर निगम, लखनऊ



नगर निगम लखनऊ


प्रेषक, मुख्य वास्तुविद् नगर निगम, लखनऊ।	सेवा में, अधिशासी अभियन्ता-मानचित्र सेल लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड गोमती नगर लखनऊ।
संख्या.... दिनांक	57/मु0वा/18 4/10/18

विषय: खसरा संख्या-481, 480क, 479क, 477, 615, 614, 616, व 617, ग्राम-मस्तेमऊ, लखनऊ पर प्रस्तावित समुह आवास निर्माण हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-117/अअ/मा0सेल दिनांक 27.08.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त प्रस्तुत समुह आवास भवन मानचित्र आइफिल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0, अधिकृत हस्ताक्षरी श्री उमेश चन्द्र मौर्या द्वारा खसरा संख्या-481, 480 क, 479 क, 477, 615, 614, 616, व 617, ग्राम-मस्तेमऊ, लखनऊ पर अनापत्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के कम में तहसीलदार नगर निगम की आख्यानुसार उक्त खसरा संख्या लखनऊ नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है। अतः-उक्त प्रस्तावित समुह आवास भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृत किये जाने में नगर निगम द्वारा अनापत्ति दिये जाने की कार्यवाही नगर निगम, लखनऊ से सम्बन्धित नहीं है।


मुख्य वास्तुविद्
नगर निगम लखनऊ।

प्रतिलिपि-

1- आइफिल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0, अधिकृत हस्ताक्षरी श्री उमेश चन्द्र मौर्या कार्पोरिट आफिस, 10/11वां तल, एल्डिको, कार्पोरिट चैम्बर-2, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वास्तुविद्
नगर निगम लखनऊ।

सेवा में,

मेसर्स एफिल इंफा डेवलपर्स प्रा० लि०
10 फ्लोर इल्लिको कारपोरेट चेम्बर-2,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषय:-

मेसर्स एफिल इंफा डेवलपर्स प्रा० लि० द्वारा भूखण्ड/खसरा सख्या-481,480के,479के,477,614,615,616 व 617 मस्तेमऊ सुल्तानपुर रोड लखनऊ में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने पत्र दिनांक: 23.06.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो उपरोक्त विषयक है।

उक्त विषयक भवन मानचित्र का एन०बी०सी० तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण किया गया निम्न तथ्य प्रकाश में आये है:-

भवन की संरचना:- भूखण्ड का एरिया- 22662.34 वर्ग मीटर मानचित्र में अंकित है।

क्र०स०	विवरण	ब्लाक ए प्रत्येक का एरिया (वर्गमी० में)	ब्लाक बी प्रत्येक का एरिया (वर्गमी० में)	ब्लाक सी प्रत्येक का एरिया (वर्गमी० में)	क्लब एरिया (वर्गमी० में)	शॉप एरिया (वर्गमी० में)
1	भूतल से प्रथम तल तक प्रत्येक तल कवर्ड एरिया	1015.08	628.73	518.04	136.95	239.49
2	द्वितीय तल से ग्यारहवें तल तक प्रत्येक तल कवर्ड एरिया	1015.08	628.73	518.04	-	-

3- प्रश्नगत भवन के बेसमेंट का कुल कवर्ड एरिया- 7672.47 वर्गमीटर मानचित्र में अंकित है।

4- प्रश्नगत भवनों की अधिकतम ऊंचाई 37.700 मीटर तथा क्लब व शॉप भवन प्रत्येक की ऊंचाई 7.50 मीटर मानचित्र में अंकित है।

भवन का अधिभोग एवं हेजार्ड श्रेणी:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी०-2016 में समूह आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाचागत व्यवस्था:-

1- प्रवेश द्वार की चौड़ाई:- प्रश्नगत भवन परिसर में प्रवेश व निकास हेतु अलग-अलग गेट प्रस्तावित है जिसकी चौड़ाई 06-06 मीटर मानचित्र में प्रदर्शित है।

2- पहुँच मार्ग:- प्रश्नगत भूखण्ड तक पहुँच मार्ग की चौड़ाई 45 मीटर मानचित्र में अंकित है।

3- सेटबैक:- प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत् है-

- अग्रभाग- 13 मीटर ।
- पृष्ठभाग- 13 मीटर ।
- पार्श्व भाग प्रथम- 13 मीटर ।
- पार्श्व भाग द्वितीय- 13 मीटर ।


उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे सेटबैक में किसी प्रकार का अतिक्रमण (स्थाई/अस्थाई) निर्माण पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। प्रश्नगत भवन के बेसमेंट का जो भाग भवन के प्रोजेक्शन से बाहर है उसके स्लैब का भार वहन क्षमता 45 टन रखा जाना आवश्यक होगा।

4- निकास मार्ग:- प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवासीय भवन के प्रत्येक ब्लाक में 02 स्टेयर केस प्रत्येक 1.5 मीटर चौड़ाई की व क्लब व शॉप एरिया में 02.00 मीटर चौड़ाई की स्टेयर केश का प्राविधानित किया गया है, जिसकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवेलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत है।

- 5- रिफ्यूज एरिया का विवरण- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन में बालकनी का प्राविधान किया गया है।
 प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थायें:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0-2016 के अनुसार निम्नांकित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें प्रस्तावित है।
 1- भूमिगत टैंक :- प्रस्तावित भवन परिसर में 75000 लीटर पानी का भूमिगत टैंक मानचित्र में प्रदर्शित है।
 2- पम्प :- प्रश्नगत भवन परिसर के भूमिगत टैंक के पास मेन पम्प 2280 लीटर प्रति मिनट क्षमता का 01 विद्युत चालित पम्प, व समकक्ष क्षमता का 01 डीजल चालित पम्प व 180 लीटर प्रति मिनट क्षमता का 01 जॉकी पम्प का संयोजन वेटराइजर व भूमिगत टैंक से किया गया प्रविधानित है।
 3- होजरील सिस्टम:- प्रश्नगत भवनों में होजरील लैण्डिंग वालव आई0एस0-3844 मानको के अनुसार लगाया जाना प्रविधानित है।
 4- वेटराइजर सिस्टम:-प्रश्नगत भवनों में वेटराइजर सिस्टम का प्रविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार लगाया जाना प्रविधानित है।
 5- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं डिलेवरी होज पाइप मय ब्रान्च पाइप तथा फायर सत्रिस इनलेट का प्राविधान आई0एस0 13039:1991 के अनुसार किया जाना प्रविधानित है।
 6- हस्तचालित विद्युत अग्नि चेतावनि पद्धति:- भवनों में हस्तचालित विद्युत अग्नि चेतावनी का प्राविधान पद्धति एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है।
 7- स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम- प्रश्नगत भवनो के बेसमेन्ट में स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है। स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की फीडिंग टेरिस व भूमिगत टैंक दोनों से किया जाना आवश्यक होगा बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टसन एन0बी0सी0-2016 मानको के अनुसार किया जाना आवश्यक है।
 8- टेरिस टैंक:-प्रश्नगत भवन के टेरिस पर अग्निशमन कार्य हेतु 20000 लीटर क्षमता का स्थापित किया जाना मानचित्र में अंकित है।
 9- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण:-प्रस्तावित भवनों में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण आईएस: 2190-2010 के अनुसार प्रविधानित है।
 10- स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम-
 ए0- फायर चेक डोर, स्मोक चेक डोरकी लोकेशन व रेटिंग 2 एच रखा जाना प्रविधानित है।
 बी0 - प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार किया जाना आवश्यक है।
 11- पी0ए0 सिस्टम- भवनों में पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था मानक के अनुसार किया जाना प्रविधानित है।
 12- एक्विजट साइनेज:- सम्पूर्ण भवनो में एक्विजट साइनेज मानक के अनुसार प्राविधानित है।
 13- प्रश्नगत भवनों में इमरजेन्सी/एस्केप लाइटिंग एन0बी0सी0-2016,में उल्लिखित मानको के अनुसार किया जाना आवश्यक है।
 14- भवन में एन0बी0सी0-2016 के अनुसार एक वैकल्पिक उर्जा श्रोत (जनरेटर सेट) स्थापित कर उससे भवन की अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट, स्टेयरकेशो व कोरीडोर की लाइटों, स्टैण्ड बाई फायर पम्प तथा स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम को पृथक लाइन(वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए से जोडा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मेसर्स एफिल इंफा डेवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा भूखण्ड/खसरा सख्या-481,480के,479के,477,614,615, 616 व 617 मस्तेमऊ सुल्तानपुर रोड लखनऊ में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2016 में उल्लेखित मानको व आई0एस0 3844-1989 एवं नवीनतम संशोधन के अनुसार कराये जायेगे, भवन निर्माण के दौरान यदि एन0बी0सी0-2016 के प्राविधानों में कोई संशोधन होता है जो कि अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत से महत्वपूर्ण है तो उसको समाहित किया जाना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानको के अनुसार भैतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।


 (ए0बी0पाण्डेय)
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
 लखनऊ।

प्रतिलिपि:- अग्निशमन अधिकारी गोमती नगर लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



नगर निगम लखनऊ


प्रेषक, मुख्य वास्तुविद् नगर निगम, लखनऊ।	सेवा में, अधिशायी अभियन्ता-मानचित्र सेल लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड गोमती नगर लखनऊ।
संख्या.... दिनांक	57/मु0वा/18 4/10/18

विषय: खसरा संख्या-481, 480क, 479क, 477, 615, 614, 616, व 617, ग्राम-मस्तेमऊ, लखनऊ पर प्रस्तावित समुह आवास निर्माण हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-117/अअ/मा0सेल दिनांक 27.08.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त प्रस्तुत समुह आवास भवन मानचित्र आइफिल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0, अधिकृत हस्ताक्षरी श्री उमेश चन्द्र मौर्या द्वारा खसरा संख्या-481, 480 क, 479 क, 477, 615, 614, 616, व 617, ग्राम-मस्तेमऊ, लखनऊ पर अनापत्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में तहसीलदार नगर निगम की आख्यानानुसार उक्त खसरा संख्या लखनऊ नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है। अतः-उक्त प्रस्तावित समुह आवास भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृत किये जाने में नगर निगम द्वारा अनापत्ति दिये जाने की कार्यवाही नगर निगम, लखनऊ से सम्बन्धित नहीं है।


मुख्य वास्तुविद्
नगर निगम लखनऊ।

प्रतिलिपि-

1- आइफिल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0, अधिकृत हस्ताक्षरी श्री उमेश चन्द्र मौर्या कार्पोरिट आफिस, 10/11वां तल, एल्डिको, कार्पोरिट चैम्बर-2, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वास्तुविद्
नगर निगम लखनऊ।